13-7-2021

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार सिरोही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (हरिश कुमार प्रजापत पुत्र झालाराम प्रजापत, जाति– प्रजापत, निवासी– रेबारी वास, सरुपगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर, फर्म पिण्डवाडा सुपर मार्केट, बी.एस.एन.एल. ऑफिस के सामने, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही) को नोटिस की तामिल होने के बाद भी अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 व 3 (विदेश कुमार व नरेश कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं निदेशक, जी पी के सुपर बाजार प्राईवेट लिमिटेड, किरण कॉम्पलेक्स, गांधी सर्कल के पास, सुमेरपुर, तहसील– सुमेरपुर, जिला– पाली) अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–4 (सुरेश कुमार पुत्र भंवरलाल, निवासी–बेरा निम्बडिया, सोजत, जिला– पाली,

लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.28/2021	नम्बर व तारीख ... काम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता, फर्म रिलेशन एण्ड कम्पनी, 307 बेरा निम्बडिया, जेतानारायण गेट, सोजत सिटी, जिला– पाली) उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–4 (सुरेश कुमार) ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 12.10.2020 को जिस अचार (इच्छा ब्राण्ड) का नमूना पिण्डवाडा सुपर मार्केट से जांच हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया है वह मेरी फर्म रिलेशन एण्ड कम्पनी, रोजत सिटी द्वारा बनाया गया है एवं बिक्री हेतु वितरण किया गया है, जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिस ब्राण्डेड व सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। यह कि मैं बाजार से सरसों तेल, मसाले आदि खरीद कर अचार बनाने के काम में लेता हूँ, सरसो तेल मनू गोल्ड/जानम ब्राण्ड काम में लकता हूँ, अब मैनें लखोटिया ब्राण्ड काम में लेना शुरु कर दिया है। अचार के इच्छा ब्राण्ड के लेबल पर एडरेस में सुधार करवा कर छपा दिया है। मैं अचार बनाने का कार्य घर से ही करता हूँ तथा मेरा कार्य भी छोटा ही है। यह मेरी प्रथम गलती है, इस गलती का पता चलते ही मैनें इसमें सुधार कर दिया है। मैं मेरी गलती/जुर्म को स्वीकार करता हूँ, इस को प्रथम गलती देखते हुए मुझे इस वाद से मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–4 की ओर से उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी संख्या– 4 (सुरेश कुमार) की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप व अमानक खाद्य पदार्थ अचार (इच्छा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंधन किया है, इसलिये प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी संख्या– 4 (सुरेश कुमार) ने उक्त जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.10.2020 को समय 4.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म पिण्डवाडा सुपर मार्केट, बी.एस.एन.एल., ऑफिस के सामने, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मैनेजर की हैसियत से प्रतिवादी हरि[illegible]जापत पुत्र झालाराम प्रजापत, जाति– [illegible] निवासी [illegible] स्वरूपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही [illegible]यत मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ अचार (इच्छा ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ अचार (इच्छा ब्राण्ड) को [illegible]

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.28/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जाच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी **मोकमा गवाह के समक्ष प्रपत्र 5ए** में भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर **अलमारी या** रैक में बिक्री हेतु मौजूद अचार (इच्छा ब्राण्ड) के 35 पैक्ड जारों (प्रत्येक 400 ग्राम) में से. अचार (इच्छा ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 400 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ इच्छा (इच्छा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1177 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./470/Act/2020/470 दिनांक 23.10.2020 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी फर्म पिण्डवाडा सुपर मार्केट, बी.एस.एन.एल. ऑफिस के सामने, पिण्डवाडा ने फर्म जीपीके सुपर बाजार प्राईवेट लिमिटेड, किरण कॉम्पलेक्स, गांधी सर्कल के पास, सुमेरपुर, जिला– पाली से अचार (इच्छा ब्राण्ड) को पैकिंग अवस्था में क्रय किया था एवं फर्म जीपीके सुपर बाजार प्राईवेट लिमिटेड, किरण कॉम्पलेक्स, गांधी सर्किल के पास, सुमेरपुर, जिला–पाली ने खाद्य पदार्थ अचार (इच्छा ब्राण्ड) को फर्म रिलेशन एण्ड कम्पनी, 307 बेरा निम्बडिया, जेतानारायण गेट, सोजत सिटी, जिला– पाली से पैकिंग अवस्था में क्रय कर पैकिंग अवस्था में ही विक्रय किया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि खाद्य पदार्थ अचार (इच्छा ब्राण्ड) की निर्माता फर्म रिलेशन एण्ड कम्पनी, 307 बेरा निम्बडिया, जेतानारायण गेट, सोजत सिटी, जिला– पाली है, जो प्रतिवादी संख्या– 4 (सुरेश कुमार) की फर्म है। इस प्रकार, प्रकरण में मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ अचार (इच्छा ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय के लिये मुख्य रुप से फर्म रिलेशन एण्ड कम्पनी, 307 बेरा निम्बडिया, जेतानारायण गेट, सोजत सिटी, जिला– पाली ही दोषी है। प्रकरण में निर्माता फर्म रिलेशन एण्ड कम्पनी, 307 बेरा निम्बडिया, जेतानारायण गेट, सोजत सिटी, जिला– पाली ने मिथ्याछाप (Misbranded) एवं अमानक (Sub-standard) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के ... प्रतिवादी संख्या–1 से 3 को दो... हुए उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के ... सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)का... /08 दिन... 5.4.2012 के द्वारा प्रदत्त ......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.28/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस [illegible] कौन्सिल से जारी हुए

शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 व 52 के तहत प्रतिवादी निर्माता फर्म रिलेशन एण्ड कम्पनी, 307 बेरा निम्बडिया, जेतानारायण गेट, सोजत सिटी, जिला– पाली पर राशि रुपये 9,000/– (अक्षरे रुपये नौ हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या–4 (सुरेश कुमार) को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म रिलेशन एण्ड कम्पनी पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। माफिक निर्णय/आदेश प्रतिवादी संख्या– 4 (सुरेश कुमार) ने निर्माता फर्म रिलेशन एण्ड कम्पनी, 307 बेरा निम्बडिया, जेतानारायण गेट, सोजत सिटी, जिला– पाली पर आरोपित जुर्माना राशि रुपये 9,000/– (अक्षरे रुपये नौ हजार मात्र) का बैंक ऑफ बडौदा, शाखा, सिरोही द्वारा जारी बैंकर्स चैक संख्या 674893 दिनांक 13.7.2021 का इरा न्यायालय में प्रस्तुत किया। अतः उक्त बैंकर्स चैक की राशि जरिये चालान राजकोष में संबंधित मद में जमा करवाई जाकर पत्रावली दाखिल दफतर हो।

13/7/2021

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.08.02 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested